	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाता है। वास्ते बहस दिनांक - 12/11/25 को पेश हो।	
12/11/25	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 24/11/25 को पेश हो।	
24/11/25	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थीयों ने कथन किया की विवादित भूमि ख॰स॰ 414, 415 वाके ग्राम लुहारिया प॰म॰ मेंडी प्रार्थीयों की खातेदारी में अंकित है। जिस पर अप्रार्थीगण आये दिन कब्जा करने व दखलदांजी करने पर आमादा रहते है। अप्रार्थीगण के कोई जवाब/खण्डन पेश नहीं किया। प्रकरण स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावे। हमने बहस वकील प्रार्थीयों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि ख॰न॰ 414, 415 ग्राम लुहारिया प॰म॰ मेंडी प्रार्थीयों की खातेदारी भूमि है। जिस पर अप्रार्थीगण को दखलदांजी करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित भूमियाँ प्रार्थीयों की खातेदारी में अंकित है, जिसका स्वत्व व संरक्षण का अधिकार प्रार्थीयों को प्राप्त होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीयों के पक्ष में होने व सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीयों के हक में बन रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीयों की खातेदारी भूमि में दखलदांजी करने से प्रार्थीयों	

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए
	को अपूरणीय क्षति की सम्भावना बनी हुई है। अत: प्रा०पत्र प्रार्थीयाँ स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 54 के खसरा नम्बर 414 रकबा 0.1619 है० व ख० नं० 415 रकबा 0.9227 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.0846 हैक्टेयर वाके ग्राम लुहारिया प०म० मेण्डी के किसी भी भू-भाग पर जबरन कब्जा नहीं करने, प्रार्थीयाँ के काश्त मे दखलदांजी नहीं करने, व कब्जे काश्त मे दखलदांजी नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 को ता फैसला वाद स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	